झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची

प्रेस विज्ञप्ति

चिकित्सा पदाधिकारी (मूलकोटि) नियमित नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–19/2023) के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत **चिकित्सा पदाधिकारी (मूलकोटि) के कुल–230 पदों पर नियमित नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–19/2023)** हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम आयोग कार्यालय में **दिनांक–28.11.2023 से दिनांक–01.12.2023 तक** आयोजित है। अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम की पूर्ण विवरणी एवं आवश्यक अनुदेश आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

2. आयोग द्वारा अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची कारण सहित आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

3. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची।

चिकित्सा पदाधिकारी (मूलकोटि) नियमित नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–19/2023) के संबंध में आवश्यक अनुदेश।

1. अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

2. अभ्यर्थी बुलावा पत्र में अंकित निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन हेतु पूर्वाहन–10:00 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

3. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार दिनांक–25/11/23 से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नं0– +919431301419/+919431301636 पर कार्यदिवस में पूर्वाहन्–11:00 बजे से अपराहन्–5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

4. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

   (i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
   (ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
   (iii) एम०बी०बी०एस० डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण सभी सेमेस्टर सहित),
   (iv) चिकित्सकीय निबंधन प्रमाण पत्र,
   (v) मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से एक वर्ष का इंटर्नशिप (Internship) प्रमाण पत्र,
   (vi) जाति प्रमाण पत्र (विज्ञापन के अनुसार),
   (vii) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (केवल महिला/दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण हेतु)
   (viii) निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
   (ix) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो),

5. अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम जो आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है उसके आलोक में अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।

6. अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

7. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।